



Helpline

1064



94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- डूंगरपुर में वनरक्षक 3 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
- आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी

जयपुर, 24 जून, शुक्रवार/ ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर बांसवाड़ा इकाई द्वारा आज डूंगरपुर में कार्यवाही करते हुये वासुदेव खांट वनरक्षक वननाका वेड रेंज डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर को परिवादी से 3 हजार रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की बांसवाड़ा इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि लकड़ी काटने की मशीन को सील कर जेल में बंद कराने की धमकी देकर वासुदेव खांट वनरक्षक वननाका वेड रेंज डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर द्वारा 5 हजार रुपये की रिश्वत राशि मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी, उदयपुर के उपमहानिरीक्षक पुलिस श्री राजेन्द्र प्रसाद गोयल एवं पुलिस अधीक्षक श्री राजीव पचार के सुपरवीजन में एसीबी बांसवाड़ा इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री माधोसिंह के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम द्वारा कार्यवाही करते हुये वासुदेव खांट पुत्र श्री रुपा खांट निवासी ग्राम राजपुर, पोस्ट भीलूड़ा, तहसील सागवाड़ा, जिला डूंगरपुर हाल वनरक्षक वननाका वेड रेंज डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर को परिवादी से 3 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल-फ्री हैल्पलाईन नं. 1064 एवं WhatsApp हैल्पलाईन नं. 94135-02834 पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी। विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ-साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरुद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।